

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 847 सन 2021

अनवान :-

1. रामेश्वर पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. सुरेश कुमार पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
4. रहीशचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र शंकर जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
2. साधुराम पुत्र शंकर जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
3. दलीपसिंह पुत्र शंकर जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
4. मदन लाल पुत्र शंकर जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 2/10/2021


सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 131/131 की कुल 2.7190 हैक प्रतिवादी संख्या 1, खाता संख्या 252/131 की कुल 3.4770 हैक प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है खाता संख्या 160/131 की कुल 2.7190 हैक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 251/131 की कुल 2.7190 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने अन्य भूमियों के साथ वाद भूमि का काश्त एवं सिचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो एक ही परिवार के सदस्य है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि के अलावा अन्य चकों की भूमियों का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि

 अधिकाारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही।

पत्रावली प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 131/131 की कुल 2.7190हैक् प्रतिवादी संख्या 1, खाता संख्या 252/131 की कुल 3.4770हैक् प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है खाता संख्या 160/131 की कुल 2.7190हैक् प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 251/131 की कुल 2.7190हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने अन्य भूमियों के साथ वाद भूमि का काश्त एवं सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे। वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल/राजीनामा पेश कर निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 131/131 की कुल 2.7190हैक् प्रतिवादी संख्या 1, खाता संख्या 252/131 की कुल 3.4770हैक् प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है खाता संख्या 160/131 की कुल 2.7190हैक् प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 251/131 की कुल 2.7190हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 4 में उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल /राजीनामा पेश किया जा चुका है।

एक ही परिवार के सदस्य आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भूमि का बाहमी बटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के खाता संख्या 131/131 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.7190 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा खाता संख्या 160/131 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.7190 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जावे व खाता संख्या 251/131 में प्रतिवादी संख्या 4 मदनलाल का नाम


अपरिचालित अधिकारी
नोहर

कलमजन किया जाकर खसरा नं. 46/5 की 1.2010 है० के भूमि में से मिन पूर्व 0.300 है० भूमि व खसरा नं. 45/2 की 1.5180 है० भूमि में से मिन पूर्व 0.3700 है० कुल 0.67 है० भूमि यानी तीनो खातो की कुल 6.108 है० भूमि में से 3.428 है० भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब० हि० ब० बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा 1.593 है० भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा 1.087 है० भूमि का वादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा खाता संख्या 251/131 की शेष भूमि के खसरा नं. 46/5 मिन पश्चिम की 0.901 है० व खसरा नं. 45/2 की मिन पश्चिम 1.148 है० कुल 2.049 है० भूमि व खाता संख्या 252/131 की कुल 3.4730 है० भूमि जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है उक्त दोनो खातो की कुल भूमि 5.526 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के 1.842 है० भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के 3.431 है० भूमि के ब० हि० ब० खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/10/2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट.....



सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामेश्वर पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. सुरेश कुमार पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
4. रहीशचन्द्र पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र शंकर जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
2. साधुराम पुत्र शंकर जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
3. दलीप सिंह पुत्र शंकर जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
4. मदन लाल पुत्र शंकर जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक- 02/10/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के खाता संख्या 131/131 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.7190 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा खाता संख्या 160/131 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.7190 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जावे व खाता संख्या 251/131 में प्रतिवादी संख्या 4 मदनलाल का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 46/5 की 1.2010 है0 के भूमि में से मिन पूर्व 0.300 है0 भूमि व खसरा नं. 45/2 की 1.5180 है0 भूमि में से मिन पूर्व 0.3700 है0 कुल 0.67 है0 भूमि यानी तीनों खातों की कुल 6.108 है0 भूमि में से 3.428 है0 भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 को 60 हि0 60 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा 1.593 है0 भूमि का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा 1.087 है0 भूमि का वादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा खाता संख्या 251/131 की शेष भूमि के खसरा नं. 46/5 मिन पश्चिम की 0.901 है0 व खसरा नं. 45/2 की मिन पश्चिम 1.148 है0 कुल 2.049 है0 भूमि व खाता संख्या 252/131 की कुल 3.4730 है0 भूमि जो प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है उक्त दोनों खातों की कुल भूमि 5.526 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के 1.842 है0 भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के 3.431 है0 भूमि के 60 हि0 60 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/10/2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2011 मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट. [Signature]